



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
 भाग-१, खण्ड (क)
 (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, ९ जुलाई, २००७
 आषाढ़ १८, १९२९ शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार
 विधायी अनुभाग-१

संख्या ११८६/७९-वि-१-०७-१(क)२४/२००७
 लखनऊ, ९ जुलाई, २००७

अधिसूचना
 विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद २०० के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, २००७ पर दिनांक ७ जुलाई, २००७ को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९ सन् २००७ के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, २००७
 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९ सन् २००७)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, १९९९ का संशोधन करने के लिए
 अधिनियम

के अन्तर्गत के अन्वयनमें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम प्रकाशित जाता है :-

१-(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, २००७ कहा जायेगा।

(२) यह १५ जून, २००७ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

२-उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, १९९९ में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ४ में,-

(क) उपधारा (१) में,-

(एक) खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे,

अर्थात् :-

“(क) सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव,
 प्रशासन विभाग

अध्यक्ष,
 पंचायत

संविधान नाम
 और प्रत्यय

उत्तर प्रदेश
 अधिनियम संख्या
 १५ सन् १९९९
 धारा ४ का अन्वयन

(ए) सरकार का सचिव
वित्त विभाग

पदेन सदस्य

(दो) खण्ड (अ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

“(अ) निम्नलिखित व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट चार गैर सरकारी सदस्य अर्थात् :-

(एक) उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश गोशाला संघ का एक प्रतिनिधि;

(दो) तीन व्यक्ति, जिनमें से एक कृषक होगा और दो राज्य में गाय के कल्याण, परिष्कार और संरक्षण में लगे स्वयंसेवी संगठनों से संबंधित होंगे।”

(छ) उपधारा (2) में शब्द “अध्यक्ष और उपाध्यक्ष” के स्थान पर शब्द “उपाध्यक्ष” रख दिया जायेगा।

धारा 5 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 5 में :-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

“(1) प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा,

परन्तु यह कि कोई गैर सरकारी सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।”

(ख) उपधारा (4) को निकाल दिया जाएगा।

निरसन और
अपवाद

4-(1) उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्वारा उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सार्वजनिक समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग के समुचित कामकाज को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1999) को संशोधित करके प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को उक्त आयोग का पदेन अध्यक्ष बनाने, पन्द्रह गैर सरकारी सदस्यों के स्थान पर उक्त आयोग के चार गैर सरकारी सदस्यों के लिए उपबन्ध करने और गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष करने की व्यवस्था की जाय।

चूंकि राज्य विधान सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्रवाई करना आवश्यक था अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधायक उत्तर प्रदेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से
वीरेन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव।

No. 1136/79-V-1-87-1(Ka)24/2007

Dated, Lucknow July 9, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Go Seva Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 7, 2007:-

THE UTTAR PRADESH GO SEVA AYOGE (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2007
(U.P. Act No. 9 of 2007)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Go Seva Ayog Adhiniyam, 1999.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Go Seva Ayog (Sanshodhan) Act, 2007.

Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on June 15, 2007.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Go Seva Ayog Adhiniyam, 1999 hereinafter referred to as the principal Act:-

amendment of section 4 of U.P. Act no. 15 of 1999

(a) in sub-section (1)-

(i) for clauses (a) and (b) the following clauses shall be substituted, namely:-

“(a) Principal Secretary/Secretary to the Government in the Animal Husbandry Department. *Chairperson Ex-officio.*

(b) Secretary to the Government in the Finance Department *“Ex-officio” Member*”

(ii) for clause (i) the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) four non official members nominated by the Government from amongst the following persons, namely:-

(i) one representative of the Uttar Pradesh Goshala Sangh established under the Uttar Pradesh Goshala Adhiniyam, 1964;

(ii) three persons of which one person shall be a farmer and two persons belonging to Voluntary organisations engaged in the welfare, preservation and protection of the cow in the State.”

(b) in sub-section (2) for the words “Chairperson and the Vice-Chairperson” the word “Vice-Chairperson” shall be substituted.

3. In section 5 of the principal Act,

Amendment of section 5

(a) for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(1) every non-official member shall hold office for a term of one year and shall be eligible for re-nomination:

Provided that a non-official member shall hold office during the pleasure of the Government.”

(b) sub-section (4) shall be omitted.

U.P. Ordinance
no. 12 of 2007

4. (1) the Uttar Pradesh Go Seva Ayog (Sanshodhan) Adhyadesh, 2007 is repealed.

Repeal and
savings

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to ensuring proper working of the Uttar Pradesh Go Seva Ayog it was decided to amend the Uttar Pradesh Go Seva Ayog Adhiniyam, 1999 (U.P. Act no. 15 of 1999) to provide for making the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Animal Husbandry Department as the ex-officio Chairman of the said Ayog, Making provision for four non-official members of the said Ayog instead of fifteen non-official members and reducing the terms of non-official members from three years to one year.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Go Seva Ayog (Sanshodhan) Adhyadesh, 2007 (U.P. Ordinance no 12, 2007) was promulgated by the Governor on June 15, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Sachiv

सी०एस०यू०पी०-ए०पी० 266 राजपत्र (दि०)-2007-(597)-597 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

सी०एस०यू०पी०-ए०पी० 145 सा० वि०या०-10-76-2007-(698)-850 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।